Kr. 14528
2/1
16/8/04

भारत सरकार मुद्रणालय
दिनांक 26-5-04 को प्राप्त।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभारी
राजपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O.- 350
Km- 30
Deptt - 100
CPB- 220

सं. 195] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2004/वैशाख 3, 1926
No. 195] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2004/VAISAKHA 3, 1926

प्रभारी
रा० वि० एकक

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मार्च, 2004

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 278(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 18 जून, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा 94/2003-आरबी के साथ पठित दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (संशोधन) विनियमावली 2004 कहलाएगी।

   (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

विनियमावली में संशोधन :—

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 1 में संलग्नक आ में, मद 20 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा, नामत: :—

"21.	कोई अन्य क्षेत्र/कार्यकलाप) (यदि संलग्नक अ में शामिल नहीं किया गया हो)	100%

[सं. फेमा 111/2004-आरबी]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

पाद टिप्पणी.—प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधित किए गए, देखें :

(क) दिसम्बर 26, 2000 का सा.का.नि. 175(अ)

(ख) फरवरी 16, 2001 का 182(अ)

(ग) मार्च 2, 2001 का 158(अ)

(घ) सितम्बर 20, 2001 का 574(अ)

(ङ) नवम्बर 29, 2001 का 4(अ)

(च) नवम्बर 12, 2002 का 223(अ)

(छ) जनवरी 17, 2003 का 225(अ)

(ज) जून 18, 2003 का 558(अ)

(झ) अक्तूबर 3, 2003 का 835(अ), और

(ञ) अक्तूबर 27, 2003 का 899(अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th March, 2004

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000 read with Notification No. FEMA 94/2003-RB dated 18th June 2003, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 as amended from time to time, namely :—

Short Title and Commencement :—

1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2004.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations :—

2. In the Foregn Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, in Schedule 1 in Annexure B, after item 20, the following item shall be inserted, namely :

"21. Any other sector/Activity) 100%

(if not included in Annexure A)

[No. FEMA 111/2004-RB]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note .—The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406(E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide :

(a) G.S.R. Nos. 175(E) dated December 26, 2000,

(b) 182(E) dated February 16, 2001,

(c) 158(E) dated March 2, 2001,

(d) 574(E) dated September 20, 2001,

(e) 4(E) dated November 29, 2001,

(f) 223(E) dated November 12, 2002,

(g) 225(E) dated January 17, 2003,

(h) 558(E) dated June 18. 2003,

(i) 835(E) dated October 3, 2003, and

(j) 899(E) dated October 27, 2003.

अधिसूचना

मुंबई, 13 मार्च, 2004

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 279(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) और उप-धारा (3), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।

(क) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. **विनियमों में संशोधन :—**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में विनियम 17 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) उप-विनियम (1) में खंड (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले किसी घोषणा को इसके पूर्वानुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किया जाएगा जो परिस्थितियों के अनुसार दी जा सकती है अथवा रोक दी जा सकती है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन दी जा सकती है।"

(ii) उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) रिज़र्व बैंक द्वारा उप-विनियम (1) के अधीन कोई निदेश नहीं दिया जाएगा तथा जब तक निर्यातक को इस संबंध में अभ्यावेदन देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है, इस उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी द्वारा कोई अनुमोदन रोका नहीं जाएगा।"

[सं. फेमा. 114/2004-आरबी]
श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

पाद टिप्पणी :— प्रधान विनियमावली मई 3, 2000 के जी.एस.आर. सं. 409(ई) द्वारा सरकारी राजपत्र में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित गिए गए थे और तत्पश्चात् संशोधित किए गए, देखें :

(क) फरवरी 27, 2001 का सा.का.नि. सं. 199(अ)

(ख) अप्रैल 1, 2002 का 473(अ)

(ग) अगस्त 27, 2003 का 773(अ), और

(घ) अक्तूबर 29, 2003 का 900(अ)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th March, 2004

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 279(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) and Sub-section (3) of Section 7, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 23/2000-RB dated 3rd May, 2000 as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement :—

The regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2004.

(a) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations :—

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 in Regulation 17, the following amendments shall be made, namely :

(i) in Sub-regulation (1), for clause (b) the following shall be substituted, namely :

"(b) that any declaration to be furnished to the specified authority shall be submitted to the authorised dealer for its prior approval, which may, having regard to the circumstances, be given or withheld or may be given subject to such conditions as may be specified by the Reserve Bank by directions issued from time to time."

(ii) for Sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) No direction under Sub-regulation (1) shall be given by the Reserve Bank and no approval under clause (b) of that Sub-regulations shall be withheld by the Authorised Dealer, unless the exporter has been given a reasonable opportunity to make a representation in the matter."

[No. FEMA 114/2004-RB]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note:— The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 409(E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide.

(a) G.S.R. Nos. 199(E) dated February, 27, 2001,

(b) 473(E) dated April 1, 2002,

(c) 773(E) dated August 27, 2003 and

(d) 900(E) dated October 29, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.